उम्मीदवारों को एतियोगी परीक्षा हेतु प्रशिक्षण दिये जाने के लिए शिक्षण संस्थाओं को अनुदान प्रदान किए जाने हेतु सरकार द्वारा स्थापित मापदंड क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक संस्था को प्रदान की गई अनुदान राशि का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इन संस्थाओं द्वारा अनुदान का उचित उपयोगी और रतियोगी के समुचित प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या हैं?

कल्याणा मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामू-वालिया) : (क) उन परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रो को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, सरकारी उपक्रमों आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाते हैं। ये केन्द्र राज्य सरकारों, विश्वविघालयों तथा निजी कोचिंग संस्थाओं द्वारा चलाए जा सकते हैं। राज्य सरकारों के व्यय के वचनबद्व स्तर के अतिरिक्त राज्य सरकारों को 50:50 के समान आधार पर सहायता दी जाती हैं। संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविघालयों तथा निजी संस्थाओं के मामले में 100% अनुदान दिया जाता हैं।

(ख) सूचना अनुबन्ध "क" में दी गई हैं। [देखिए परिशिष्ट 181 अनुपत्र संख्या 38]

(ग) परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केन्द्र अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्ताव के साथ संबंधित वर्ष के लिए लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा वास्तविक प्रगाति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के पास पड़ी उपयोग न की गई शेष धनराशि, यदि कोई हो, तो अगले वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत राशि से समायोजित की जाती हैं।

परीक्षा पूर्व, प्रशिक्षण केन्द्रो से नए अनुदान प्रस्तावों के प्राप्त होने पर कल्याण मंत्रालय द्वारा उनके पूर्वनिष्पादन तथा निधियों के वास्तविक उपयोग की समीक्षा की जाती हैं।

Financial assistance to Voluntary Organisations in Gujarat

1385. SHRIMATI ANADIBEN JETHABHAI PATEL: SHRI BRAHMUKUMAR BHATT:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether any grant or financial assistance has been provided to voluntary organisations in Gujarat during the last three years;

(b) if so, the details of assistance given and the organisations benefited thereby;

(c) whether it is a fact that these organisations have not submitted their! accounts and reports regularly to Govern ment; and

(d) if so, the details of such organisa tions?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) Yes, Sir.

(b) The details of grant in aid released to the voluntary organisations in Gujarat during the last three years are at Anne xure. *[See* Appendix 181, Annexure No. 39]

(c) No grant in aid is released to any voluntary organisation for subsequent year until and unless audited statement of accounts and performance report for previous year is received.

(d) In view of (c) above, question does not arise.

मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियों में शामिल जातियां

1386. **श्री राघवजी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में ऐसी कौन-कौन सी जातियां हैं जो राज्य के कुछ क्षेत्रो में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल हैं और कुछ क्षेत्रो में शामिल नहीं हैं,

(ख) उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह मांग सरकार के समक्ष आई हैं कि इन जातियों को पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं।

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) एक विवरण संलग्र हैं। (नीचे देखिए)

(ख) समुदायों का अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के रूप निर्धारित मानदंडो के आधार पर किया जाता हैं। चूंकि एक राज्य में ऐतिहासिक कारणों से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किसी समुदाय की सामजिक, आर्थिक और अन्य प्रासंगिक विशेषताएं भिन्न हो सकती हैं इसीलिए किसी एक राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में किसी खास समुदाय को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसा भी मामला हो माना जा सकता हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इन दावों की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूचियां में व्यापक संशोधन के दौरान ऐसे अन्य मामलों के साथ जांच की जा रही हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र में जहां क्षेत्र प्रतिबंध हैं से संबंधित अनुसूचित जाति तथा आदिवासियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क. अनुसूचित जाति

1. धोबी (भोपाल रायसैन और सिहोर जिलो में)

2. कोतवाल (भिंड, धाड. , देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खारगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपरी, उज्जैन और विदिशा जिलो में)

3. कुम्हार (छत्तरपुर दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, सहदौल, सिधि और पीतमगढ़ जिलो में)

4. पाधी (भिंड, घाड़, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खारगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर,शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलो में)

ख. अनुसूचित जनजाति

1. कीर (भोपाल, रायसैन और सिहोर जिलो में)

2. मीना (विदिशा जिले के सिरोज उप-मंडल में)

3. पानिका (छत्तरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, सहडौल, सिधि और टीकमगढ़ जिलो में)

4. परधी (भोपाल, रायसैन और सिहोर जिलो में)

5. पारधीः (बेहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधि, लंगोली पारधी, फान्स पारधी, शिकारी, टाकांकर, ताकिया) (1) बस्तर छिदवाड़ा, मांडा राजगढ़, सियौनी, और सुरगुजा जिलो में, (2) बालाघाट जिला में बेइहर तहसील (3) बैतुल जिला के बैतुल और भैसदेही तहसील, (4) विलासपुर जिला के विलासपुर और कटधोड़े तहसील , (5) दुर्ग जिला के दुर्ग और बालौड तहसील (6) राजनन्दगांव जिला के चौकी, पानपुर और मुहाला के राजस्व निरीक्षक क्षेत्र,(7) जबलपुर जिला के मुडवारा, पाटन और सिहौर तहसील, (8) हौशंगाबाद जिला और नरसिम्हपर जिला के होशंगाबाद और सुहागपुर तहसील, (9) खण्डवा जिला के हरसूद तहसील, (10) रायपुर जिला का विन्द्रानावागढ़, धमतरी और महासमुन्द तहसील)

Assistance by NSFDC for setting up own business, trade etc.

1387. SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

the details of the assistance being provided to SC/ST beneficiaries for setting up of their own business, trade, profession and other business by National SCs/STs Finance and Development Corporation in the country, State-wise;

whether it is a fact that NSFDC is not functioning properly and has failed to protect the interest of the SCs/STs in the country;

the reasons therefor; and

the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) NSFDC renders financial assistance for establishing self employment activities to SC/ST beneficiaries whose family income is below double the poverty line criteria i.e. Rs. 22,000/- for rural areas and Rs. 23,700/- for urban areas. Projects costing upto Rs. 30 lacs are considered for which 85% is given as Term loan